<u>बजट</u>
<u>अतिआवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए–4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2018–19/ 742 जयपुर दिनांक : 25/10/2018

1. [illegible] जयपुर ।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज,जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग जयपुर।
4. सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर,जयपुर,हनुमानगढ़,झुन्झुनूं,टोंक।
5. जिला क्षय रोग अधिकारी,बाडमेर,नागौर,टोंक,झुन्झुनूं,सीकर,झालावाड़,बांसवाड़ा।
6. अधीक्षक, कमला नेहरू क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र,अजमेर
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी झुंझुनूं, डूंगरपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा,बाडमेर, धौलपुर, जैसलमेर,करौली, पाली,राजसमंद,टोंक ।

विषय :– आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक ए–4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2018–19/549 दिनांक 04.09.2018 एवं 627 दिनांक 20.09.2018 तथा 670 दिनांक 08.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार आप द्वारा बजट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये है। जबकि वित्त विभाग द्वारा बजट निर्णायक समिति (BFC) की बैठक दिनांक 02.11.2018 को निर्धारित कर दी गई है।

आप द्वारा निर्धारित दिनांक पर आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आपके कार्यालय के बजट प्रस्तावों को विभाग के बजट में संकलित नहीं किया जा सका है। इसके परिणाम स्वरूप आपको बजट आंवटित करना कठिन होगा। बजट प्रस्ताव निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें। यथासमय **बजट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर,आदेशों की अवहेलना करने एवं अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं करने के कारण आपके विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।**

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए–4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2018–19/ 742 जयपुर दिनांक 25/10/2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. प्रभारी अधिकारी सर्वर रुम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की बेवसाईड पर अपलोड करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर